

# अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

## पारिवारिक विभाग



**मैं बाल शोषण और उपेक्षा (चाइल्ड अब्यूस एंड नेगलेक्ट) की रिपोर्ट कैसे करूँ?**

"बाल शोषण और उपेक्षा की रिपोर्ट करने के लिए, 24 घंटे की रिपोर्ट लाइन पर कॉल करें: 1-800-292-9582"<sup>1</sup>

**मैं किसी डे-केयर द्वारा बाल देखभाल के उल्लंघन की शिकायत कैसे करूँ या बिना लाइसेंस वाली बाल देखभाल सुविधा की रिपोर्ट कैसे करूँ?**

"बाल देखभाल मानकों के उल्लंघन, असुरक्षित देखभाल या बिना लाइसेंस वाली देखभाल सुविधा की रिपोर्ट करने के लिए:"<sup>2</sup>

- 1-302-892-5800 (न्यू कैसल काउंटी)
- 1-302-739-5487 (केंट और ससेक्स काउंटी)

**क्या एटर्नी जनरल का कार्यालय मेरे निजी हिरासत मामले में हस्तक्षेप कर सकता है क्योंकि मैं अदालत के फैसले या मेरे वकील द्वारा मेरे मामले को संभालने से संतुष्ट नहीं हूँ?**

नहीं, एटर्नी जनरल का कार्यालय बाल हिरासत मामलों में निजी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। एटर्नी जनरल का कार्यालय अदालती कार्यवाही में बच्चों, युवाओं और उनके परिवारों के लिए सेवा विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ सर्विसेस फॉर चिल्ड्रन यूथ एंड देयर फॅमिलीस) और उसके प्रभागों (परिवार सेवाओं का प्रभाग, युवा पुनर्वास सेवाओं का प्रभाग, और रोकथाम और व्यवहार स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभाग) का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदार है।

**मेरा आपराधिक मामला मेरे पक्ष में हल हो गया था या हटा दिया गया था। मुझे बाल सुरक्षा रजिस्ट्री (चाइल्ड प्रोटेक्शन रजिस्ट्री) से जुड़ी किसी प्रक्रिया का सामना क्यों करना पड़ रहा है?**

बाल सुरक्षा रजिस्ट्री से जुड़ी एक सिविल कार्यवाही किसी आपराधिक कार्यवाही से अलग होती है इसमें एक अलग प्रमाण की आवश्यकता होती है। यह निर्णय कि क्या आपका आपराधिक मामला और उसका समाधान सिविल बाल सुरक्षा रजिस्ट्री की कार्यवाही पर रोक लगाएगा या नहीं, 16 Del. द्वारा निर्धारित किया जाता है। C. § 921.

**पारिवारिक सेवा प्रभाग (डिविजन ऑफ फॅमिली सर्विसेस) के विरुद्ध मेरे बच्चे पर निर्भरता/उपेक्षा मामले में माता-पिता के रूप में मेरा प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है?**

आपको फैमिली कोर्ट को कॉल करके पूछना होगा कि आपके बच्चे पर निर्भरता/उपेक्षा मामले में आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे (या यदि किसी को) नियुक्त किया गया है। आपके फैमिली कोर्ट फ़ाइल नंबर और याचिका नंबर की मदद से फैमिली कोर्ट को आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद होगी।

**मैं बाल सहायता के बारे में प्रश्न कहाँ पूछ सकता हूँ?**

जिन माता-पिता के बाल सहायता के संबंध में प्रश्न हैं, उन्हें [बाल सहायता सेवा प्रभाग](#) से संपर्क करना चाहिए। स्वचालित सहायता लाइनें (AAL) दिन के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन टोल-फ्री उपलब्ध हैं, जबकि बाल सहायता विशेषज्ञ सोमवार-शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक उपलब्ध हैं:

- न्यू कैसल काउंटी: (302) 577-7171 या (302) 395-6520
- केंट काउंटी: (302) 739-8299
- ससेक्स काउंटी: (302) 856-5386

**बच्चों के भरण-पोषण के लिए माता-पिता की आयु कितनी होनी चाहिए?**

डेलावेयर में बाल सहायता का भुगतान करने के लिए उम्र की कोई आवश्यकता नहीं है। माता-पिता, यहाँ तक कि एक नाबालिग का भी अपने बच्चों का समर्थन करना कानूनी कर्तव्य है।

**यदि कोई पक्ष, बाल सहायता सेवा प्रभाग (DCSS, डिविजन ऑफ चाइल्ड सपोर्ट सर्विसेस) का क्लाइंट है, तो मैं कानूनी दस्तावेज किसे सौंपूँ? DCSS और DOJ चाइल्ड सपोर्ट यूनिट दोनों को DCSS क्लाइंट की ओर से सेवा दी जानी चाहिए।**

<sup>1</sup> यह भाषा DSCYF/DFS पैम्फलेट से ली गई है।

<sup>2</sup> Id.